आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Department of Social Welfare, Women and Child Development, Chandigarh Administration

UT Chandigarh Fund for Persons with Disabilities

यूटी चंडीगढ़ दिव्यांगजन कोष चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों को कल्याण सेवाएँ देने वाली सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक कल्याण संगठनों और ट्रस्टों को आर्थिक सहायता देता है। 2026-27 के आवेदनों की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 थी।

क्या मिल सकता है

चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों की सेवा करने वाली संस्थाओं को यूटी चंडीगढ़ दिव्यांगजन कोष से आर्थिक सहायता। सूचना में अनुदान की राशि नहीं बताई गई है।

किसके लिए है

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों को कल्याण सेवाएँ देने वाली सरकारी संस्थाएँ, स्वैच्छिक कल्याण संगठन और ट्रस्ट। सूचना इन्हीं संस्थाओं से आवेदन माँगती है, व्यक्तियों से नहीं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक सरकारी संस्था, स्वैच्छिक कल्याण संगठन या ट्रस्ट हो।
- वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों को कल्याण सेवाएँ देता हो।
- 2026-27 के दौर में पूरा आवेदन और ज़रूरी दस्तावेज़ 30 सितंबर 2026 तक निदेशक, समाज कल्याण के कार्यालय पहुँचना ज़रूरी था।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन पत्र और योजना की पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.chdsw.gov.in से लें।
2. पूरा आवेदन और ज़रूरी दस्तावेज़ निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चंडीगढ़ प्रशासन, तीसरी मंज़िल, टाउन हॉल एक्सटेंशन बिल्डिंग, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ को भेजें।
3. 2026-27 के दौर की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 थी। अगले दौर के बारे में 0172-2700062 पर पूछें और विभाग की वेबसाइट देखते रहें।

स्थिति

आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2026

आधिकारिक स्रोत: https://chdsw.gov.in/uploads/media/20260922_172114_va5p7nk3mtgx0jokmpq4-letter-to-dpr_removed.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/chandigarh/chd-ut-fund-for-persons-with-disabilities/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।